



2026:AHC:33108

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4751 सन् 2026

सुरेश चंद्र

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : सुनील कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान चचेरे द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने 20.01.2026 को प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील किशनी जिला मैनपुरी के समक्ष सीमाओं में सुधार के लिए एक आवेदन दायर किया है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए, भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 32 के तहत एक पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई है और यदि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष इस संबंध में एक आवेदन दायर करेगा, तो वह इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेगा।

3. मामले को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका का निस्तारण याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसीलदार, किस्नी जिला मैनपुरी के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, किशनी जिला मैनपुरी के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 इस मामले में कानून के अनुसार, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, तेजी से और सख्ती से निर्णय लेगा।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया)

फरवरी 13, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"